न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 37 / 2022	2022 / 58	17.02.2022	23.05.2022

–उनवान–

1. काका सिंह पुत्र अमर सिंह
2. गुरदयाल सिंह पुत्र अमर सिंह
3. त्रिलोक सिंह पुत्र अमर सिंह
4. मक्खन सिंह पुत्र अमर सिंह जातियान रायसिख निवासीयान् ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. कौशल्या बाई पत्नी जीत सिंह
2. गुरूनाम सिंह पुत्र जीत सिंह
3. गुरमेल सिंह पुत्र जीत सिंह
4. जंगीर सिंह पुत्र सरदार सिंह
5. दलीप सिंह पुत्र सरदार सिंह
6. प्रीतम सिंह पुत्र सरदार सिंह
7. नन्द सिंह पुत्र जीत सिंह
8. पंजाब सिंह पुत्र जीत सिंह
9. सतनाम सिंह पुत्र जीत सिंह
10. सिंगार सिंह पुत्र जीत सिंह जातियान् रायसिख निवासीयान् ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
11. उप पंजीयक कोटकासिम जिला अलवर।
12. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर।

–असल अप्रार्थीगण

13. बन्तो कौर पुत्री अमरसिंह
14. बन्शो कौर पत्नी अमरसिंह जातियान् रायसिख निवासीयान् ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री कमल सिंह **–वकील प्रार्थीगण**

02. श्री जगदीशचन्द सतीजा **–वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 10**

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान काकासिंह वगै0 बनाम कौशल्या वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनवानी प्रकरण काकासिंह वगै0 बनाम कौशल्या वगै0 विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ लंबित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0पत्र में प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 12.01.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी थी। जो बदस्तूर प्रभावी है। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0पत्र पर दिनांक 11.02.2022 को बहस हो चुकी है। वास्ते आदेश दिनांक 15.02.2022 नियत की गयी। किन्तु उक्त पेशी पर अस्थाई निषेधाज्ञा पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 18.02.2022 नियत कर दी गयी। वाद में बहुत ही नजदीकी तारीख पेशीयां दी जा रही है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की आपत्ति के बावजूद पीठासीन अधिकारी द्वारा नजदीक तारीख पेशी दी गयी। अप्रार्थी सं0 3 गुरमेल सिंह को प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते–जाते व कुछ समय तक बैठे रहना देखा है। अप्रार्थी सं0 3 ने दिनांक 15.02.2022 को आगामी पेशी नियत होने के बाद न्यायालय परिसर से बाहर निकलते हुए खुलेआम प्रार्थीगण को कहा गया कि मैं दिनांक 18.02.2022 को तुम्हें तुडवाकर रहूंगा। क्योंकि एसडीओ साहब से मेरी सेटिंग बैठ गयी है तथा पक्षकार बनने की

जिला कलक्टर, अलवर

जो दरख्वास्त लगी है उसे भी खारिज करवाकर रहूंगा। उपरोक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थीगण को उक्त वाद में पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त वाद को किसी भी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 10 ने बहस व जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा बिना आधार व वादकारण पैदा करने की नियत से प्रा0पत्र मुंतकिल पेश किया गया है। चूंकि प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं होने के कारण गलत तथ्यों के आधार पर नक्शा दुरूस्ती के तहत पेश कर स्थगन प्राप्त किया गया है। जिस पर मिन अप्रार्थीगण द्वारा जानकारी होने पर जवाब दावा व जवाब प्रा0पत्र पेश किया गया कि विवादित आराजी से प्रार्थीगण गैर काबिज शख्स है एवं अनावश्यक गलत तथ्यों के आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। प्रकरण में दिनांक 08.02.2022 नियत थी। जिस पर मिन अप्रार्थीगण ने अविलम्ब सुनवाई हेतु प्रा0पत्र पेश किया। जिसे प्रार्थीगण के वकील साहब द्वारा जानबूझकर तामील अवॉईड की गयी। प्रार्थीगण द्वारा बिना आधार व दस्तावेजी साक्ष्य के मिन अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से दावा दायर किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए एक पक्षीय आदेश पारित कराये गये है। प्रकरण हाजा में अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी सं0 3 पैरवी नहीं कर रहा है। बल्कि दलीप सिंह पैरवी करता आ रहा है वही तारीख पेशीयों पर उपस्थित होता है। अप्रार्थी सं0 3 न तो कानून का ज्ञान रखता है न ही मुकदमे बाजी का अनुभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्पक्ष रूप से वाद की सुनवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त कथन है कि मिन अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 2442 रकबा 28 ऐयर बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के यहां वर्ष 2006 में दावा दायर किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 02.05.2018 को हो गया। जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर में की गयी। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 29.11.2021 को मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में हुआ था। इस तरह प्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में उक्त अनुवानी प्रकरण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ लंबित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0पत्र में प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 12.01.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी थी। जो वर्तमान में भी प्रभावी है। दिनांक 11.02.2022 को उक्त प्रा0पत्र पर बहस हो चुकी है। आदेश में पत्रावली दिनांक 15.02.2022 में नियत की गयी। किन्तु उक्त पेशी पर कोई आदेश पारित नहीं किये गये तथा आगामी पेशी दिनांक 11.03.2022 नियत की गयी। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप बेबूनियाद है। उपखण्ड अधिकारी एक लोक सेवक की हैसियत से जनसामान्य की सुनवाई करने के लिए कार्यालय में उपस्थित होता है। प्रार्थीगण द्वारा भी लगाये गये यह आरोप भी मिथ्य है जिसमें उसने अवगत कराया है कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 18.02.2022 स्थगन तुडवाने की धमकी दी गयी। प्रार्थीगण को इस न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है तो उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में ले जाने का विकल्प खुला हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र भी पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर